कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांकः 305 /एम0एम0सी0–30–खनिज/2026–27

दिनांकः 08 /06 /2026

ई–निविदा आमंत्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–2595/86–2018–12 (सामा0)/2018 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 03.12.2018 में दिये गये निर्देशों के अधीन जनपद महोबा में जब्तशुदा उपखनिजों (ईमारती पत्थर यथा खण्डा/गिट्टी/बोल्डर/स्टोन डस्ट) के भण्डारों को ई–निविदा (e-Tendering) के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु एतद् द्वारा उपलब्ध घोषित करते हुये दिनांक 15/06/2026 के पूर्वान्ह 10:00 बजे से दिनांक 20/06/2026 के अपरान्ह 05:00 बजे तक की अवधि में क्षेत्रों के लिए ई–निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर ई–निविदाए निम्नलिखित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	भण्डारण स्थल का विवरण		जियो–कोआर्डिनेट्स		उपखनिज का नाम	भण्डारित उपखनिज की मात्रा (घ0मी0)	रायल्टी दर (रू0 प्रति घ0मी0)	भण्डारणरित मात्रा की कुल रायल्टी (रू0 में) (कालम–7 में अंकित मात्रा घ0मी0 को कालम–8 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम–9 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
	तहसील	ग्राम	अक्षांश	देशान्तर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	महोबा	कबरई	25°21'59.35"N	79°58'53.25"E	स्टोन डस्ट/ जीरा गिट्टी	37920	165	62,56,800.00	15,64,200.00
2.	महोबा	कबरई	25°22'00.01"N	79°58'51.32"E	स्टोन डस्ट/ जीरा गिट्टी	53020	165	87,48,300.00	21,87,075.00
3.	महोबा	कबरई	25°21'52.23"N	79°58'52.95"E	स्टोन डस्ट/ जीरा गिट्टी	73000	165	1,20,45,000.00	30,11,250.00

शर्तेः–

1– दिनांक 15/06/2026 से दिनांक 20/06/2026 तक प्राप्त सभी ई–निविदा दिनांक 22/06/2026 को प्रातः 11:00 बजे से कलेक्ट्रेट महोबा स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी द्वारा गठित ई–निविदा समिति द्वारा ई–निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी।

2– (ईमारती पत्थर यथा खण्डा/गिट्टी/बोल्डर/स्टोन डस्ट) के लिये नियमावली–2021 यथासंशोधित के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर रू0 165.00 प्रति घनमीटर से कम नही होगी।

3– भण्डारित ईमारती पत्थर यथा खण्डा/गिट्टी/बोल्डर/स्टोन डस्ट को हटाने की अवधि **06 माह अथवा मात्रा की निकासी तक, जो पहले हो**, की होगी, इसके अतिरिक्त अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नही होगा।

4– भण्डारित ईमारती पत्थर यथा खण्डा/गिट्टी/बोल्डर/स्टोन डस्ट के उपरोक्त किसी भण्डार की ई–निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व उक्त तालिका के कॉलम–10 में सम्बन्धित भण्डार के लिए अंकित प्री–बिड अर्नेस्ट मनी (EMD) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (जो जिलाधिकारी, महोबा के पक्ष में देय हो) अग्रिम रूप से जमा करना अनिवार्य होगा।

5– इच्छुक व्यक्ति ई–निविदा में भाग लेने वाले से पूर्व प्रत्येक भण्डार में आंकलित उपखनिज ईमारती पत्थर यथा खण्डा/गिट्टी/बोल्डर/स्टोन डस्ट की मात्रा, पहुच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

6– यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई–निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगीः–

(क) ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले निविदाकार द्वारा किसी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप–II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगें

7– कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय, जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है। ई–निविदाकार को ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारुप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :–

प्रारुप–2 की सूचनायें :–

क– विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा भण्डारों को विज्ञापित किया गया है।

...2

ख— विज्ञप्ति में भण्डार का क्रमांक

ग— निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई—मेल एवं मो0नं0।

घ— ईमारती पत्थर यथा खण्डा/गिट्टी/बोल्डर/स्टोन डस्ट के उस भण्डार का विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।

ड़— अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0—2000/— का चालान संख्या व दिनांक।

च— ईमारती पत्थर यथा खण्डा/गिट्टी/बोल्डर/स्टोन डस्ट) के प्रति घनमीटर के लिए दी जाने वाली दर (जो उस खण्डा/गिट्टी/बोल्डर/स्टोन डस्ट के लिये नियमावली—2021 यथासंशोधित के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगी।

छ— आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।

ज— पैनकार्ड का क्रमांक।

झ— चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।

ट— कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

<u>स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :—</u>

क— ई—निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रु0—2,000/— का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख— आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग— पैन कार्ड।

घ— अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट।

8— यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु सं0—7 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई—टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा, यदि ई—निविदाकार द्वारा बिन्दु सं0—7 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई—निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई—निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप—2, स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र और बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने के एक घन्टे पूर्व अर्थात् 10:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में ई—निविदा निरस्त मानते हुए नही खोली जायेगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति के भण्डार का क्रमांक, आवेदक का नाम, मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9— ई—निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर सहमति की दशा में सर्वोच्च दर के ई—निविदा कर्ता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा आशय पत्र (लेटर ऑफ इन्टेट) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई—निविदा प्रस्तुत करने वाले ई—निविदाकार को छोडकर अन्य द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट उन्हे वापस कर दिया जायेगा। सर्वोच्च ई—निविदाकार के मामले में अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा की गयी धनराशि उनके द्वारा देय कुल धनराशि (सर्वोच्च ई—निविदा की दर × भण्डारित खनिज की मात्रा) में समायोजित कर लिया जायेगा। सर्वोच्च ई—निविदाकार को शेष धनराशि आशय पत्र प्राप्त करने के 02 कार्य दिवस के अन्दर जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित सर्वोच्च ई—निविदाकार द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी जिसके लिए कोई दावा/प्रार्थना पत्र स्वीकार नही होगा।

10— किसी भण्डार के लिए देय कुल धनराशि (प्राप्त सर्वोच्च ई—निविदा की दर × भण्डारित खनिज की मात्रा) सम्बन्धित सर्वोच्च ई—निविदाकार द्वारा जमा कर दिए जाने के पश्चात् सम्बन्धित भण्डार से निर्धारित अवधि के अन्दर ईमारती पत्थर यथा खण्डा/गिट्टी/बोल्डर/स्टोन डस्ट हटाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित सर्वोच्च ई—निविदाकार के पक्ष में स्वीकृति आदेश निर्गत किया जायेगा।

11— उक्त ई—निविदा को बिना कोई कारण बताए जिलाधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

12— ई—निविदा आमंत्रण हेतु ई—निविदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण नियमों एवं शर्तो आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ई—टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर प्राप्त की जा सकती है।

13— सफल ई—निविदाकार को देय कुल धनराशि का 2 प्रतिशत आयकर (टी0सी0एस0) के रूप में तथा देय कुल धनराशि का 10 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के रूप में जमा करना होगा।

14— मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय उ0प्र0 शासन अथवा जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

15— नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

16— राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन किया जाता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह निविदाकार/भण्डारणकर्ता को मान्य होगा।

17— स्थानीय स्थिति तथा परिस्थितिजन्य परिवेश को ध्यान में रखतें हुए जिलाधिकारी द्वारा लगायी गयी अन्य शर्ते, जो उचित समझी जाए, मान्य होगी।

(ग़ज़ल भारद्वाज)
जिलाधिकारी
महोबा।

पत्रांक व तद्दिनांकः—
प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
3— निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
4— निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5— अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा।
6— उपजिलाधिकारी, महोबा।
7— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, महोबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद—महोबा के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
8— जिला सूचना अधिकारी, महोबा को दैनिक समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु।

/
जिलाधिकारी
महोबा।

Signature Not Verified
Digitally signed by RAKESH BAHADUR SINGH
Date: 2026.06.10 16:35:10 IST
Location: Uttar Pradesh-UP